

प्रेषक,
आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 16 अप्रैल 2018

विषय:- कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस०एच०-33) किमी० चैनेज 134.022 की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा रां०- 489 पर बी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।


महोदय,


उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2758/ कासगंज/31078/2017 दिनांक 26-3-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस०एच०-33) किमी० चैनेज 134.022 की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा सं०- 489 पर बी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में बी०पी०सी०एल० की तरफ से श्री टोनेश चतुर्वेदी प्रबंधक (रिटेल) मथुरा का प्रस्ताव के साथ पावर आफ एटार्नी संलग्न नहीं है।

अतएव प्रस्तावक श्री टोनेश चतुर्वेदी प्रबंधक (रिटेल) मथुरा का बी०पी०सी०एल० की तरफ से पावर आफ एटार्नी शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी,
विशेष सचिव

D/M
कृ० प्र० अ० अ० अ०

17/4/18

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2942/कासगंज/31078/2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 17, 2018



प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख की सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कराकर सत्यापित प्रति तीन प्रति में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख की सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कर सत्यापित प्रति तीन प्रति में वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक, (रिटेल) बी०पी०सी०एल०, प्लॉट डी-1, रोड नं०-26 इंडस्ट्रियल एरिया, पो०-रिफाइनरी, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

पत्रांक 3499/147 दिनांक 19/4/18

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज को 56
मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित सूचना व अभिलेख हेतु प्रेषित सूचना व अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक को प्रेषित सूचना व अभिलेख हेतु प्रेषित सूचना व अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

वन संरक्षक